

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकांसी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, टाण्डा(रामपुर), सोरों(कासगंज), महाराजगंज(महाराजगंज), पडरौना (कुशीनगर), शाहाबाद(हरदोई), नगीना/हल्दौर/चौदपुर(बिजनौर) एवं एटा(एटा)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित 09 नगर पालिका परिषदों को सड़कों के निर्माण हेतु कुल ₹ 382.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष कुल ₹ 191.045 लाख (₹ एक करोड़ इक्यान्बे लाख चार हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	रामपुर	नगर पालिका परिषद, टाण्डा	29.37	14.68
2	कासगंज	नगर पालिका परिषद, सोरों	47.23	23.61
3	महाराजगंज	नगर पालिका परिषद, महाराजगंज	27.72	13.86
4	कुशीनगर	नगर पालिका परिषद, पडरौना	38.54	19.27
5	हरदोई	नगर पालिका परिषद, शाहाबाद	30.14	15.07
6	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, नगीना	70.40	35.20
7	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, हल्दौर	18.25	9.12
8	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, चौदपुर	18.15	9.07
9	एटा	नगर पालिका परिषद, एटा	102.29	51.14
		योग	382.09	191.045

(₹ एक करोड़ इक्यान्बे लाख चार हजार पांच सौ मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी-एल-ए-/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत

- दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
 5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
 6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2014 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
 11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04- उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1043/दस-2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भगदीय,



(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

C

संख्या-242(1)/नौ-5-2013-24बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद, अलीगढ, गोरखपुर एवं लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, रामपुर, कासगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, हरदोई, बिजनौर एवं एटा।
- 4- कोषाधिकारी, रामपुर, कासगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, हरदोई, बिजनौर एवं एटा।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 7- संबंधित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
- 9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,


(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

९

4

शासनादेश संख्या-242/नौ-5-2013-24बजट/2014, दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु. में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रामपुर	नगर पालिका परिषद, टाण्डा	1. वार्ड नं; 5 में हाजी अख्तर अली रोड से जाफर अली के गेट तक व गुलाम की गली व मस्जिद फात्मा से रजा हसन के मकान तक व नजाकत के मकान से हशमत के मकान तक एवं हाफिज के मकान से कारी नसीम के मकान तक सी.सी. टाईल्स सड़क व नाली	14.99	
			2. वार्ड नं. 7 में चन्द्रपाल के मकान से हिन्दुस्तान राईस मिल के पास नहर की पुलिया तक सी.सी. टाईल्स सड़क व नाली निर्माण व नहर की दीवार का कार्य	14.38	
			योग	29.37	14.68
2	कासगंज	नगर पालिका परिषद, सोरों	1. मौ.मढ़ई मस्जिद के पास श्री महमूद मिस्त्री के घर तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	3.97	
			2. मौ. घटिया शमशान द्वार से शवदाह गृह तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	20.55	
			3. सड़क लहरा रोड से दूधेश्वर मन्दिर तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	11.25	
			4. मौ. रामसिंहपुरा लहरा रोड चौराहे से श्री मुन्नाबाबू तिवारी के घर तक इंटरलाकिंग सड़क	11.46	
			योग	47.23	23.61
3	महराजगंज	नगर पालिका परिषद, महराजगंज	वार्ड नं. 10 इन्दिरानगर में स्थित सिंचाई गेट से डाक बंगला होते हुए राजीव नगर वार्ड तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	27.72	
			योग	27.72	13.86
4	कुशीनगर	नगर पालिका परिषद, पडरौना	मेन बाजार उत्तरी में श्री राजेन्द्र पाण्डेय के घर से शायरी माई के स्थान तक सड़क निर्माण	38.54	
			योग	38.54	19.27

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
5	हरदोई	नगर पालिका परिषद, शाहाबाद	बुध बाजार प्राइमरी स्कूल से अख्तियारपुर रोड शाहिद के ट्यूबवेल तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क निर्माण	30.14	
			योग	30.14	15.07
6	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, नगीना	1.वार्ड नं.3/7 मोहल्ला छिप्पी /चौधरान पहाडी दरवाजे से इमली मिराहे से बढापुर चुंगी तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	37.60	
			2. वार्ड नं.3/7 मोहल्ला चौधरान पहाडी दरवाजा ईदगाह द्वार तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	32.80	
			योग	70.40	35.20
7	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, हल्दौर	1. मौ. महलवाला में श्री फतेह बहादुर के मकान से गीता पब्लिक स्कूल तक इंटरलाकिंग सड़क नि.	9.10	
			2. मौ. हरवंशगंज में श्री तेजपाल के मकान से सिद्धबली मन्दिर तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	9.15	
			योग	18.25	9.12
8	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, चाँदपुर	1. मौ. पतियापाडा में कब्रिस्तान से मास्टर बदरुद्दीन के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	9.05	
			2. मौ. पतियापाडा में हल्दौर पी.डब्ल्यू.डी. रोड से श्री तैयब अली के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	9.10	
			योग	18.15	9.07
9	एटा	नगर पालिका परिषद, एटा	1. नेहरू नगर में कच्ची शेष विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली	14.18	
			2. संजय नगर की कच्ची शेष विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली	17.96	
			3. सुनहरीनगर में राधाविहार की शेष कच्ची गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली	11.84	



6-

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
			4. लालपुर में नई आबादी की विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली	12.92	
			5. जगन्नाथपुरी में शेष विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली	8.91	
			6. वर्मानगर की कच्ची शेष विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली	29.00	
			7. पीपल अड्डा पर नई आबादी की शेष गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली	7.48	
			योग	102.29	51.14
			महोयाग (क्रमांक-1 से 9)	382.09	191.045

(रुँ एक करोड़ इक्यानबे लाख चार हजार पांच सौ मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।